



Neutral Citation No. 2026:AHC:21441

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- – 221/2026

जगदीश प्रसाद और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उप निदेशक चकबंदी और 9 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : शिवम पांडे सूर्यप्रकाश शर्मा विपिन कुमार त्रिपाठी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष सं. 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता गण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।
2. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:
"ए. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वह उसके समक्ष लंबित पुनर्स्थापना आवेदन संख्या 903/2023 पुनरीक्षण संख्या 968/699/513/400 वर्ष 2016 का (जगदीश प्रसाद व अन्य बनाम जगदंबा प्रसाद व अन्य) पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली समय सीमा के भीतर निर्णय ले।"
3. यह निवेदन किया गया है कि यह मुकदमा काफी लंबे समय से विचारार्थ लंबित है तथापि इसका शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि ऊपर बताया गया है इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा इसलिए यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है। ऐसा करते समय न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है बल्कि चकबंदी उप निदेशक (प्रत्यर्थी संख्या 1) जिनके समक्ष उपर्युक्त मुकदमा निस्तारण हेतु लंबित है को यह निर्देश देता है कि वे कानून के अनुसार इस मामले का शीघ्रता से निर्णय करें अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से पाँच महीने की अवधि के भीतर बशर्ते कि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।
6. उपर्युक्त निर्देश के साथ वर्तमान आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

30 जनवरी 2026

विनय

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"